ईमेल/कोर्टकेस/अतिमहत्वपूर्ण/परिपत्र

प्रेषक,

निदेशक
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

1- समस्त उप निदेशक मत्स्य
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या- /स्था0शा0/कोर्टकेस/सा0पत्रा-5/परिपत्र दिनांक- 24/05/24

विषय- वाद सं0-रिट (सी0) 4316/2024 राम चन्द्र व अन्य तीन बनाम् उ0प्र0 राज्य व दो अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 745/सत्रह-म-2024-17-1099/71/2024 दिनांक 16.05.2024 एवं साथ में संलग्न प्रमुख सचिव न्याय एवं विधिक परामर्शी उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 78/सात-न्याय-अनु0प्रको0/2024 दिनांक 07.05.2024 **(छाया प्रतियां संलग्न)** अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त सन्दर्भ में शासन के उक्त पत्र दिनांक 16.05.2024 द्वारा न्याय विभाग उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 07.05.2024 द्वारा दिये गये निम्न निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है:-

(1) मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने के पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रतिशपथ पत्र को वरिष्ठ राज्य विधि अधिकारी से विधीक्षण (Vetting) कराये जाने के पश्चात ही मा0 न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जायं।

(2) समस्त राज्य विधिक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मा0 न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने से पहले अंतिम रूप से विधीक्षित कर लिया जाय। भविष्य में, राज्य की ओर से मा0 न्यायालय में दायर किये गये सभी प्रतिशपथ पत्रों का अंतिम रूप, प्राप्त सूचना/निर्देशों के आधार पर ही विधीक्षण कर दाखिल किया जाय। अंतिम विधीक्षण करने वाला राज्य विधि अधिकारी शपथ पत्र के अंत में अपना नाम अंकित करेगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि अंतिम विधीक्षण उसके द्वारा किया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित कराये कि भविष्य में अस्पष्ट और भ्रमित करने वाले प्रतिशपथ पत्र मा0 न्यायालयों में दाखिल न किये जायं।

2 - अतः उक्त संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों में भविष्य में दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्रों के संदर्भ में उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुये तद्नुसार ही प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाये।

भवदीय

Signed by
Noorus Saboor Rehmani
Date: 24-05-2024 11:12:56

(एन0एस0 रहमानी)
निदेशक

पत्र संख्याः- 1676 **/स्था0शा0/कोर्ट केस सा0पत्रा-5/परिपत्र दिनॉक -उक्त।**

प्रतिलिपिः अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0 प्र0 शासन, सचिवालय लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2 - मुख्यालय के समस्त अधिकारीगणों को उक्त संदर्भ में उनके स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3 - वेब आफिसर, मुख्यालय को इस निर्देश सहित प्रेषित कि विभाग की वेबसाइट पर उक्त पत्र की प्रति अपलोड करना सुनिश्चित करें।